



भा.कृ.अनु.प.-केन्द्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान
नबीबाग, बैरसिया रोड, भोपाल-462038 (म.प्र.)

ICAR - Central Institute Of Agricultural Engineering
Nabibagh, Berasia Road, Bhopal - 462038 (M.P.)

An ISO 9001:2015 Certified Institute
Tel.: 0755-2521015, 2521016 Fax: 2730984, 2734016, Email: gao_admn.ciae@icar.gov.in



फाइल नं: 6-17/2018-Rectt./ITI

दिनांक: 13.01.2025

आई.टी.आई. अप्रेंटिस हेतु चयन परीक्षा/साक्षात्कार

केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान नबीबाग, बेरसिया रोड, भोपाल में अप्रेंटिस अधिनियम 1961 के तहत आई.टी.आई. अप्रेंटिस की विभिन्न ट्रेड हेतु परीक्षा/साक्षात्कार (WALK-IN-INTERVIEW) दिनांक 29.01.2025, बुधवार को प्रातः 10:30 बजे इस संस्थान में आयोजित किया जाएगा। विभिन्न ट्रेड में रिक्तियों का विवरण निम्नानुसार है:-

आई.टी.आई. ट्रेड का नाम	पदों की संख्या	शैक्षणिक योग्यता	अप्रेंटिस अवधि	की	प्रतिमाह वृत्तिका
फिटर	04	सम्बंधित ट्रेड में आई.टी.आई. उत्तीर्ण प्रमाणपत्र	01 वर्ष		8050/-
मशीनिस्ट	01				8050/-
कंप्यूटर ओपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (कोपा)	01				7700/-

चयन प्रक्रिया/ नियम और शर्तें:

1. आई. टी.आई अप्रेंटिस का चयन परीक्षा के अंको पर आधारितर में प्राप्तांसाक्षात्का/किया जाएगा।
2. उपरोक्त पद विशुद्ध रूप में एक वर्ष की समयावधि के लिए हैं।
3. इच्छुक उम्मीदवार साक्षात्कार के समय निम्नलिखित दस्तावेज अपने साथ लेकर आए:-
 - क. बायोडाटा/ रिज्यूमे/ सीवी में आयु, योग्यता, लिए गए विषय, उत्तीर्ण होने का वर्ष, प्राप्त अंक, पते का प्रमाण (Address Proof), फोटोग्राफ आवेदन / बायोडाटा के ऊपर दाईं ओर चिपकाया जाना चाहिए।
 - ख. मूल प्रमाण पत्र (10 वीं एवं आई. टी. आई. की मार्कशीट) और उनकी स्व-सत्यापित (Self-Attested) प्रतियां।
 - ग. मूल रूप में अनुभव प्रमाण पत्र, यदि कोई हो।
4. साक्षात्कार में भाग लेने के लिए कोई भी यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा।
5. उम्मीदवार को शैक्षणिक योग्यता के मूल प्रमाण पत्र के बिना साक्षात्कार में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
6. पद के लिए मौखिक साक्षात्कार में पहले लिखित परीक्षा आयोजित की जा सकती है।
7. वह उम्मीदवार जो अप्रेंटिस अधिनियम 1961 के तहत किसी सरकारी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या निजी औद्योगिक संगठन में वर्तमान में अप्रेंटिस कर रहे हैं, आवेदन करने के लिए पात्र नहीं हैं।
8. आई. टी. आई. अप्रेंटिस का चयन एवं प्रशिक्षण पूर्ण रूप से अप्रेंटिस अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुपालन में है एवं प्रशिक्षण पूर्ण होने पर आई. टी. आई. अप्रेंटिस को रोजगार देने की कोई बाध्यता नहीं है।